

13-7-17

पंजावली आन वकील जर्षी के अपेदन पर पेशी  
लाश्रीय पर हो गई। ड्रैफ्ट मूल वाद जर्षी  
राजीनामा विद्रो किया जा चुका है। कब इस  
अपेदन में आगे का कार्यवाही का कोई सौचल्य  
नहीं रहा। इसलिए इस अपेदन में आगे का  
कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त कर न्यायालय द्वारा  
जारी स्थगन आदेश सं 42/16 दि. 3/2/16 को  
निरस्त किया जाता है। पंजावली के सलबुमार  
होकर वाशिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
(SDO) चौहदन